

चारजशीट: एक सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं

प्रलिस के लिये:

चारजशीट, प्राथमिकी (FIR), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)

मेन्स के लिये:

चारजशीट और FIR में अंतर, चारजशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज़ क्यों नहीं है।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने फैसला सुनाया कि चारजशीट 'सार्वजनिक दस्तावेज़' नहीं है और चारजशीट की स्वतंत्र सार्वजनिक पहुँच को संकषम करना [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह आरोपी, पीड़ित और जाँच एजेंसियों के अधिकारों से समझौता करता है।

चारजशीट:

परिचय:

- चारजशीट, जैसा कि धारा 173 CrPC के तहत परिभाषित किया गया है, एक पुलिस अधिकारी या जाँच एजेंसी द्वारा मामले की जाँच पूरी करने के बाद तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट है।
 - के वीरासवामी बनाम भारत संघ और अन्य (1991) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चारजशीट CrPC की धारा 173 (2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट है।
- आरोपी के खिलाफ 60-90 दिनों की नरिधारित अवधि के भीतर चारजशीट दायर की जानी चाहिये, अन्यथा गरिफ्तारी अवैध मणी जाएगी और आरोपी जमानत का हकदार होगा।

चारजशीट में शामिल होना चाहिये:

- नामों का वविरण, सूचना की प्रकृति और अपराध। अभयिक्त गरिफ्तारी में है, हरिसत में है, या रहिा हो गया है, क्या उसके वरिद्ध कोई कारयवाही की गई, ये सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर चारजशीट में दया जाना चाहिये।

चारजशीट दाखलि करने के बाद की प्रक्रिया:

- चारजशीट तैयार करने के बाद पुलिस स्टेशन का प्रभारी इसे एक [मजसिटर](#) को प्रेषित करता है, जसि इसमें उल्लिखित अपराधों का नोटसि लेने का अधिकार है ताकि आरोप तय कयि जा सकें।

चारजशीट FIR से कैसे अलग है?

प्रावधान:

- 'चारजशीट' शब्द को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन [प्राथमिकी \(FIR\)](#) को न तो [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) और न ही CrPC में परिभाषित किया गया है। इसके स्थान पर इसे CrPC की धारा 154 के तहत पुलिस नयिमां/वनयिमां के तहत जगह मलिति है, जो 'संज्ञेय मामलों में जानकारी' से संबंधित है।

दाखलि करने का समय:

- चारजशीट कसि जाँच की समाप्त पर दाखलि की गई अंतिम रिपोर्ट होती है, एक प्राथमिकी (FIR) 'कसि भी घटना की प्रथम सूचना' के तौर पर दर्ज की जाती है जब पुलिस को एक संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जसिके लयि कसि को वारंट के बनिा गरिफ्तार कयि जा सकता है, जैसे कि बलात्कार, हत्या, अपहरण) के बारे में सूचित किया जाता है।

दोष नरिधारण:

- एक प्राथमिकी से कसि व्यक्त के दोष का नरिधारण नहीं हो जाता है, लेकिन एक चारजशीट में सबूत भी होते हैं और अक्सर मुकदमे के दौरान अभयिक्त पर लगाए गए अपराधों को साबित करने के लयि इनका उपयोग कयि जाता है।

नयिम एवं शरतें:

- FIR दर्ज किये जाने के बाद जाँच होती है। **CRPC की धारा 169** के तहत पुलिस मामले को मजस्ट्रेट के पास तभी ला सकती है जब उसके पास पर्याप्त सबूत हों, अन्यथा आरोपी को हरिसत से रहिा कर दिया जाता है।
 - CRPC की धारा 154 (3) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने की समस्या से परेशान है, तो वह पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज सकता है, जो या तो स्वयं मामले की जाँच करेगा या अपने अधीनस्थ को निर्देशित करेगा।
- पुलिस या कानून-प्रवर्तन/जाँच एजेंसी द्वारा प्राथमिकी में वर्णित अपराधों के संबंध में अभ्युक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद ही आरोप पत्र दायर किया जाता है, अन्यथा सबूत की कमी के कारण 'रद्दीकरण रिपोर्ट' या 'अनट्रेसड रिपोर्ट' दायर की जा सकती है।

FIR

- यह किसी भी सूचना की वह रिपोर्ट है जो पुलिस तक सबसे पहले पहुँचती है और इसीलिये इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
- यह आमतौर पर किसी संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत है। संज्ञेय अपराध होने की रिपोर्ट कोई भी मौखिक या लिखित रूप में कर सकता है।

चारजशीट, एक सार्वजनिक दस्तावेज़ क्यों नहीं?

- न्यायालय के अनुसार, चारजशीट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 और 76 के तहत एक 'सार्वजनिक दस्तावेज़' नहीं है।
 - धारा 74: यह सार्वजनिक दस्तावेज़ों को ऐसे दस्तावेज़ों के रूप में परिभाषित करता है जो भारत, राष्ट्रमंडल या किसी बाहरी देश के किसी भी हिस्से में संप्रभु प्राधिकरण, आधिकारिक निकायों, न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक कार्यालयों के या तो वधायी, न्यायिक या कार्यकारी के कार्य या रिकॉर्ड होते हैं। इसमें "नज़ि दस्तावेज़ों के किसी भी राज्य में रखे गए" सार्वजनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
 - इस खंड में उल्लिखित दस्तावेज़ सार्वजनिक दस्तावेज़ हैं तथा उनकी प्रमाणित प्रतियाँ उन सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जानी चाहिये जिनके पास उनकी कस्टडी है।
 - आवश्यक सार्वजनिक दस्तावेज़ों के साथ चारजशीट की प्रतियों को इस धारा के तहत सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता है।
 - धारा 76: ऐसे दस्तावेज़ों की अभिरक्षा वाले किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को कानूनी शुल्क की मांग और भुगतान पर एक प्रतियुक्त प्रदान करनी चाहिये, साथ ही सत्यापन का प्रमाण पत्र भी देना होगा जिस पर अधिकारी की मुहर, नाम एवं पदनाम तथा तारीख अंकित हो।
 - साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के अनुसार, धारा 74 के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेज़ों के अलावा अन्य सभी दस्तावेज़ नज़ि दस्तावेज़ हैं।
 - यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनिन ऑफ इंडिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिया कि वे FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर FIR की प्रतियाँ ऑनलाइन प्रकाशित करें, उन मामलों को छोड़कर जहाँ अपराध संवेदनशील प्रकृति के हों।
 - इस निर्णय के तहत केवल FIR को कवर किया गया था तथा चारजशीट को शामिल नहीं किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस